टी0ए0 मिस केस सं0 369/2020-21

| दिनांक | आदेश | अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 13.02.2021 | अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **अर्जुन दास**, पिता/पति– स्व० गोपाल दास, **ग्राम–गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला–**पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा–**गितिलपी**, थाना नं0–**580**,खाता न0–**122** प्लॉट न0–**2191एंव2192**,क्रमशः रकवा–**0.01$\frac{1}{2}$** एंव **0.03एकड़**, **कुल रकवा–0.04$\frac{1}{2}$** भूमि ग्रहिता **प्रीति पान**, पिता/पति– **श्री अर्जुन दास**, ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, **जिला प० सिंहभूम** के पास में विनियम दान करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(बी) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विनियम दान हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।<br><br>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। दानकर्त्ता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज होकर है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।<br><br>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **168**,दिनांक **10.02.2021** के द्वारा प्राप्त है। आवेदक ग्रहिता **प्रीति पान**, **पिता/पति– श्री अर्जुन दास**, ग्राम– **गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, **जिला प० सिंहभूम** के पास **विनियम दान** करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि दानकर्त्ता एवं ग्रहणकर्त्ता दोनों एक ही जिला के निवासी है। उक्त दोनों पिछड़ी जाति के सदस्य हैं, एंव पिता पुत्री है। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है।<br><br>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में दानकर्त्ता **अर्जुन दास**, **पिता/पति– स्व० गोपाल दास**, **ग्राम–गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **गितिलपी**, थाना नं0–**580**, खाता न0–**122**, प्लॉट न0– **2191 एंव 2192**, क्रमशः रकवा–**0.01$\frac{1}{2}$** एंव **0.03एकड़**, **कुल रकवा–0.04$\frac{1}{2}$**, भूमि को ग्रहिता **प्रीति पान**, **पिता/प्रति– श्री अर्जुन दास**, **ग्राम– गितिलपी**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तुक(बी) के अन्तर्गत विनियम दान करने की अनुमति दी जाती है।<br><br>लेखापित<br><br>13/2<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>सदर चाईबासा।<br><br>13/02/2021<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>सदर चाईबासा। | |

RajRamanGope

Scanned with CamScanner